

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 485/2021

तारीख रजू 31.12.2021

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

मिशाल आई०डी० नम्बर 2021/627

उनवान

अवधबिहारी पुत्र रामजीलाल बगै० जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कांचरौली तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—वादीगण 02

बनाम

बाबु पुत्र लखनलाल बगै० जाति जाट निवासी ग्राम कांचरौली तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण -05

दिनांक	फर्द अहकाम
31.12.2021	<p>आज यह वाद पत्र वादीगण की ओर से श्री पुरुषोत्तम गोयल एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.1.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(अनूप सिंह) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p> <p>रप 1/2022 पत्रावली पेश हुई। सायलान व सायलान वकील व गै० सा० नं०। उपस्थित सायलान सायलान वकील व गै० सा० नं०। न लहाया कि सायलान व गै० सायलान के मध्य ग्राम के पंच पंचली के माध्यम से राजीनामा होना है। एने अब सायलान व सायलान वकील प्रत्येक सागे नही चलाना चाहे है। सायलान एकसा ने टुम में सायलान करना चाहे है। अहः मु० नं० 485/2021 प० 1 अवध बिहारी बनाम लखनलाल बगै० के नगरिय किया जा रहा है। पत्रावली पेश होकार होकर नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)</p>